

गुण 6/17 तारिख रजु 9.6.17


उजयान - हजारी पुत्रगुल्यामीना
बनाम

गुल्यापि मु० किशन लाल मीना
शाहशकर

दावा बाबत घोषणा खोतदारी व स्थायी
निषेधाज्ञा


पादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट
ने दावा बाबत घोषणा खोतदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
पेश किया गया। प्रस्तुत शपथ पत्र व दस्तावेजों का
अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपादी
गण को जरिये सभन से तलब किया जाके पत्रावली
दिनांक 07/ को पेश हो।

2867-72
9.6.17


जजिला कलक्टर
टोडाभीम (कौली)

10.1.17
दादी वकील उप० प्रतिवादी नं. 1, 4 की ओर से श्री सुकील
कुशा जि दलत Adv. ने बकालत नामा पेश किया। प्रतिवादी
नं. 2, 3, 5, 6 बावजूद सूचना उप० नहीं है। 10.0.17 के मप में
पधारे हैं। आर्डर दि. 31.7.17 को पेश हो।

31.7.17
दादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 2, 3, 5, 6 के विरुद्ध
एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है प्रतिवादी नं. 1, 4 का
जबब पेश किया। जबब की नकल दादी वकील को
दिलाई। बास्ते कार्यवाही तनकीपात दि. 16.8.17 को पेश हो।


जगदीश आर्य
जजिला कलक्टर
टोडाभीम

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
21.2.19	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से काय स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी युवा प्रोग्राम में है। गतानुसार दिनांक 14.3.19 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
13.3.19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी युवा प्रोग्राम में भ्रमण पर है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 22.4.19 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
22.4.19	वकुलाय उप/गतानुसार वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 11.6.19 को पेश हो। <i>[Signature]</i>
11.6.19	प्रतिवादी वकील उपस्थित। वादी वकील उपस्थित नहीं है। फर्द बट आवाज रिलीज गई। फिर भी वादी वकील एवं वादी में से कोई भी उपस्थित नहीं है। इतः यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जा रहा है। पत्रावली फेरल श्रुमार होकर नम्बर से काम होकर दाखिल इफ्तार हो। <i>[Signature]</i> उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)